कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 132/999/सम्बद्धता/आउशि/17 भोपाल,दिनांक– 31/1/17

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–नवीन अशासकीय महाविद्यालय में नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु प्राप्त आवेदनों की भौतिक स्थिति की जांच करने बाबत्।

––0––

सत्र 2017–18 हेतु आपके जिले के नवीन अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिये महाविद्यालय की भौतिक स्थिति का निरीक्षण किया जाना है।

2. आपके जिले से प्राप्त पोर्टल पर दर्ज नवीन अशासकीय महाविद्यालयों के आनलाईन आवेदन अनुसार भौतिक स्थल निरीक्षण कार्य 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।

3. भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट **online** NOCMS पर संबंधित आवेदनों के समक्ष स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रविष्ट कर मुख्यालय को अग्रेषित करें। भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण की चेक लिस्ट में दिये गये बिन्दु अनुसार जानकारी दर्ज कर प्राचार्य के हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन, भौतिक सत्यापन निरीक्षण की दिनांक, निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम, निरीक्षण स्थल के फोटोग्राफ तथा निरीक्षण के लगभग पांच मिनिट के वीडियों सहित **online** NOCMS पर अपलोड कराया जाना है। निरीक्षण की चेक लिस्ट का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।

4. इस कार्य हेतु अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य तत्काल एक या एक से अधिक आवश्यकतानुसार दल गठित करें और उनके माध्यम से जिले के समस्त नवीन अशासकीय महाविद्यालयों के आवेदनों के प्रस्तावित स्थलों पर जाकर भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

5. ये सभी निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग के पोर्टल **http://mphighereducation.nic.in** पर ऑनलाईन किए जाएगें, अतः जांच करते समय मार्गदर्शी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सर्तकता बरती जाए।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

30.1.17
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 133/999/सम्बद्धता/आउशि/17 भोपाल,दिनांक– 31/1/17

प्रतिलिपिः–

1. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, विन्ध्याचल भवन,भोपाल की ओर **NOCMS online application** पर आवश्यक प्रावधान उपलब्ध कराने हेतु।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय को समय–सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिये निर्देश देने हेतु प्रेषित।
3. अशासकीय महाविद्यालयों की समिति के सचिव निरीक्षण दल का समय सीमा में भौतिक सत्यापन निर्धारित प्रारूप अनुसार कराने में सहयोग करें।
4. श्री विनीत तिवारी, वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, उच्च शिक्षा, म0प्र0 (मो.9425630755 /**vineet.tiwari@mapit.gov.in**)–**online** NOCMS पर आवेदन अग्रेषित करने की प्रकिया में तकनीकी मार्गदर्शन हेतु प्रेषित।

30.1.17
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

चेक लिस्ट 01

नवीन महाविद्यालय संचालित करने हेतु निरीक्षण प्रोफार्मा

सत्र 2017–18

प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम एवं पता ....

....

1. समिति का पंजीयन क्र0 एवं दिनांक ....

....

2. पंजीकृत समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरित पते / योग्यता की सूची। ....

....

3. संस्था के नाम भवन / भूमि की जानकारी **(मूल दस्तावेजों से सत्यापित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें)**

I – संस्था का स्वयं का भवन होने पर ....
मार्गदर्शिका के बिन्दु 2.1.2(अ) के अनुसार ....
समस्त भवन भूमि के रजिस्टर्ड दस्तावेज ....

II – भवन लीज पर होने पर मार्गदर्शिक की ....
2.1.2(ब) अनुसार 30 वर्षों की रजिस्टर्ड लीजडीड ....

III – भवन तीन वर्ष के किरायनामे पर है तो ....
मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.2 (स) अनुसार ....
भवन भूमि के रजिस्टर्ड दस्तावेज तथा ....
विकास खंड / जिले में कोई भी अशासकीय
महाविद्यालय संचालित होने / नहीं होने का
प्रमाण–पत्र

IV– स्वयं, लीज का अथवा किराये का भवन होने पर ....
मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.4 अनुसार
महाविद्यालय भवन का निर्मित क्षेत्रफल (कम से ....
कम 5000 वर्गफिट) होना अनिवार्य है।

प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम ....

VI – भवन में कक्षों का विवरण क्षेत्रफल सहित ....

....

VII– खेल मैदान की जानकारी(मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.6 अनुसार) ....

VIII–भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल(वर्गफीट में) ....

4. व्याख्यान कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, ... पुस्तकालय कक्ष की जानकारी ....

5. महाविद्यालय में पार्किंग व्यवस्था की जानकारी ....

....

6. 20/10 कि0मी0 की परिधि में अशासकीय महाविद्यालय संचालित होने/नहीं होने का विवरण**(मार्गदर्शिका की कंडिका–(2.1.5)(क)(i)(ii)**..
(श्योपुर,शिवपुरी,गुना,डिण्डोरी,सिवनी,बडवानी,धार,झाबुआ,शाजापुर,नीमच,राजगढ,टीकमगढ,पश्चिम–निवाड जिलों को छोडकर)

7. संस्था द्वारा मार्गदर्शिका की कंडिका 5–अ,ब,एवं स के प्रावधान अनुसार पूर्ण शुल्क जमा किया गया है अथवा नहीं? ....

8. संस्था द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम ....

नोटः–आवश्यक प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

समिति सदस्यों के नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	अभिमत

1 ....
2 ....
3 ....

अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का स्पष्ट अभिमतः–

हस्ताक्षर

नोटः– 1–उपरोक्त दर्शाये गये समस्त बिन्दुओं को पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य है।
2–निरीक्षण समिति/एवं प्राचार्य अपना अभिमत स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।